

लोगों की भर्ती केन्द्र से होती है और मंदी महोदय करते हैं। उन्हें इस के बारे म ध्यान देना चाहिए। जिस गांव में प्रत्यावाचार हुए हैं, वहाँ तो महाराष्ट्र सरकार जमाना करने आती है। जिस लोगों का प्रोसेंक्यूशन हुआ है क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा?

ये मेरे सवाल हैं।

श्री घण्टिक लाल भज्जस : मैं माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का जवाब दे चुका हूँ। एक बात उन्होंने कही है जिसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि जब से जनता पार्टी की सरकार थार्ड है यह जो रेफेन है यह बहुत दिनों से चला प्रा रहा है, उनके इस इष्टीशन को मैं दुर्लक्ष करना चाहता हूँ। यह जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है। गवर्नर माहब हरिजनों के नेता और श्रम चिकितक है। उनको चीज़ों को मही परियोःय में देखना चाहिये तभी जा कर इसका मही इंटरवेटेशन करें। तभी वह उस घटना से ठीक लेसन ले पाएंगे और आगे के लिए ठीक मार्गदर्शन दे पाएंगे। घटनाओं का ठीक अध्ययन किया जाना चाहिए। एमरजेंसी खत्म हई। जनता पार्टी की सरकार बनी। तभी से देश में जनतंत्र में निर्भरता का वातावरण बना है, कानून का राज बना है। इससे हरिजन भी निर्भर बने हैं और अपने अधिकारों को प्रसंट कर रहे हैं। इस भूमिका को पहले उनको समझना चाहिये। जनतंत्र की भूमिका को उन्होंने नहीं समझा तो मारो बात अधिक चली जाएगी। जनता पार्टी का गवाह नहीं है। इस परियोःय में इमरान आप देखे कि देश में जनता पार्टी ने जनतन्त्र को रेस्टोर किया है जिसको कांगड़े ने खत्म कर दिया था। इसको आप ध्यान में रखें तभी आगांको पता लगेगा कि इस वातावरण का क्या हरिजन भी लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। वे भी उठा रहे हैं और अपने अधिकारों को प्रसंट कर रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिनाता हूँ कि हरिजनों के प्रति जनता पार्टी की महानुरूपता है। उनको गमांव में उचित दर्जा मिले, समता का दर्जा मिले यही जनता पार्टी की मंगा और इच्छा है। जो संघर्ष चल रहा है इसमें देश में समता का वातावरण बनेगा, उच्च नीचे का जो भेद है वह खत्म होगा। आप विश्वास करें कि इसी दिशा में यह चीज़ चल रही है। सभी का यह प्रयास है कि यह सफल हो और देश में समता का वातावरण बने।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the substitute motions to the vote of the House. Dr. Ramji Singh, do you wish to press your substitute motion or withdraw it?

DR. RAMJI SINGH: I would like to withdraw it.

Substitution Motion No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put substitute motion No. 2 moved by Shri B. C. Kamble to the vote of the House. The question is:

"That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the situation arising out of the reported large scale disturbances and some killings in Marathwada in Maharashtra State, expresses its great concern and directs the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to investigate into the causes of these incidents and to identify those who are responsible for such incidents, and suggest remedies to meet the present situation as well as to suggest such other remedies to prevent recurrence of such incidents in any part of India in future." (2)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The other two Substitute Motion Nos. 3 and 4 are barred.

17.24 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

RENT CHARGED FROM VENDING CONTRACTORS ON THE RAILWAYS

MR. CHAIRMAN: Now we go on to the Half-an-Hour Discussion. Pandit Tiwary.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : (गोपालगंग) : पूर्वोन्नर रेलवे के हर क्षेत्र में किन्तु प्रांधली और गढ़वाली की जाती है उसके पक्षहिस्से को मैं आज प्रकाश में लाना चाहता हूँ। जिस क्षेत्र की ओर प्राप्त नजर उठायें, वहाँ पक्ष-नात, प्रांधली और जुल्म ही आपको दिखाई देंगा। छोटे मोटे कम्बलारी कुछ गलत काम करते हैं तो उमका समाधान हो जाता है लेकिन जब

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

हैर आफ दि डिपार्टमेंट, महाप्रबन्धक और क्षेत्रीय आफिससे वहां का ५० ढॉ० एस. आदि जब गड़बड़ी करने लगते हैं तब मासमां प्रौद बिंगड़ जाता है। होता यह है कि जब आफिसर नहीं चाहते कि कोई प्रादमी रेलवे में काम करे तो उसके प्रति इतनी गलत गलत बातें करते हैं जिससे वह आदमी खुद छोड़कर चला जाय, पर उसका इलाज कहीं नहीं है। जो प्रभी बर्तमान प्रश्न है कि विभिन्न स्टेशनों पर रेस्टॉरेंट के मकानों का भाड़ा कैसे निर्धारित किया गया, क्यों निर्धारित किया जाता है? मैंने अपने प्रतिराकित प्रश्न संख्या 5445 दिनांक 4.4.78 और पुनः 25.7.78 को प्रश्न संख्या 1376 द्वारा यह पूछा था कि मुझे बताया जाय कि बड़े बड़े स्टेशनों पर कितना भाड़ा चार्ज किया जाता है। पहले प्रश्न में तो टाला गया कि संकलित किया जा रहा है और सभा पटल पर रखा जाएगा। संकलित कहां करना था? वह तो एत ५० आर० के हेडवाटर से ५ मिनट में था जाता। लेकिन आपने टालना चाहा। जब दूसरा प्रश्न मैंने पूछा तो बड़ा रिवीलिंग उत्तर दिया गया। जो बड़े बड़े स्टेशन हैं जैसे लखनऊ, गोरखपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर इनमें आप ४० से ७० रु तक भाड़ा लेते हैं, और पटना में ३५ रु भाड़ा लेते हैं। और जो अनइंपोर्टेंट स्टेशन हैं जहां बिक्री बड़ी कम होती है, बड़े बड़े स्टेशनों पर तो हजारों रु की बिक्री होती है, लेकिन महेन्द्रधाट जैसे स्टेशन पर १०० रु रोज से ज्यादा की बिक्री नहीं होती है वहां एसीमेंट करते बैक्ट ८० रु प्रति माह भाड़ा निर्धारित किया था। वहां के टेकेदार ने कहा कि इसका भाड़ा पहले जब रेलवे के तहत में था और जब एक भी सम्मिलित था तो आप ४० रु लेते थे, और घाटा लगने पर छोड़ दिया, आप चलाने नहीं जा रहे थे, और कई दिनों तक वहां रेस्ट्रां बन रहा। इसके बाद लोगों के कहने पर कि वहां लोग आते जाते हैं, वहां ठहरते तो नहीं हैं, लेकिन चाय पानी करते हैं और इसको चालू कीजिए, न आप से चलता हो तो किसी टेकेदार को दे दीजिए। आपने पहले टेकेदार को दिया तो पहले तो आपने आधा यूनिट यानि जहाज का अपर डेक हटा लिया और आधा यूनिट के लिए आपने ८० रु भाड़ा रखा। जो पहले ४० रु दोनों मिला रहा होता था, उसका आपने ४० रु एसीमेंट किया। जब टेकेदार ने यह कहा कि भाड़ा कम होना चाहिए चैक आधा यूनिट आपने ले लिया। जो नाजायज तरह से आपने ले लिया, वह हमें मिलना चाहिए था क्योंकि किसी रेस्टरां का एक वैंडिंग स्फोर्य होता है और वह महेन्द्रधाट का अपर डेक था। रेस्टरां से कहीं नका नहीं होता है जब तक वैंडिंग न हो। आपने उसे ले लिया। आपने आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया, लेकिन भाड़ा बही रखा। और आवेदन-पत्र देने पर और क्या किया? पहले आपने १७०० रु भाड़ा लगा दिया। बड़े बड़े स्टेशनों पर तो ४०, ५० रु भाड़ा लेकिन महेन्द्रधाट स्टेशन का १७०० रु प्रति माह भाड़ा लगा दिया। जब टेकेदार ने

प्रोटेस्ट किया तो आपने १२४९ रु ५० पैसे किया। आप सोचिए पटना स्टेशन जहां हजारों रु की बिक्री रोज होती है वहां तो ३५ रु भाड़ा लगाया है और जहां १०० रु की बिक्री है वहां १२४९ रु लगाया है। इसके मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जो टेकेदार आधिकारियों को नहीं बिला पिला सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है वह टिकेने न पाए और बड़े बड़े स्टेशनों के टेकेदार सब रेलवे अधिकारियों के हाथ गर्म करते हैं तो वहां आप भाड़ा कम कर देते हैं? और गरीबों का भाड़ा, जो लोगों की हथेली गरम नहीं कर सकता, ज्यादा लगा देते हैं। इसके अनियक्त और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता है। इसका दूसरा अर्थ तो हो नहीं सकता, एक ही अर्थ हो सकता है कि या आप उसको हटाना चाहते हैं, अपने मन के आदमी को लाना चाहते हैं या किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपकी खुशमद दगमद करे, कुछ हाथ गर्म करे। (व्यवधान)

भाड़ा फिलम करने का कोई क्राइटरिया होता है। वह क्राइटरिया जो रेलवे ने बनाया है वह डेक परसेंट से ११ परसेंट है लगत पर। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि जहां बहुत अधिक बिक्री हो वहां ११ परसेंट लगाया जा सकता है, लेकिन जहां बिक्री नहीं होती है, ऑटो-एंटरेंट स्टेशन है, वहां डेक परसेंट लगाया जा सकता है। उस हिसाब से महेन्द्रधाट का ३५ रु भाड़ा होना चाहिए, लेकिन आपने बहुत मुश्किल किया कि १७०० रु से १२५० रु किया। मिनिस्टर गाहब आप सोचिए कि ऐसा क्यों आपके रेलवे में होना है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके महाप्रबन्धक वहां के सी० सी० पास० में कुछ नाजायज काम कराना चाहते थे, जब उमने वह स्वीकार करनी किया तो उसको फोर्मैट लीव पर भेजा और गलत काम किसी दूसरे से कराकर ४, ५ दिन बाद फिर उसे बुला लिया। यही समस्या है। रेलवे बोर्ड का सर्कार है कि महेन्द्रधाट के माध्यम जहाज का अपर डेक सम्मिलित है, लेकिन आप लोग तो स्वार्थ में अन्धे हो जाते हैं, न आप सर्कार देखते हैं और न उसके अनुमार चलते हैं और बगाबर सर्कार का पगलन नहीं होता है। (व्यवधान)

एक मात्रनीय सदस्य : १२५० रुपये किराया प्रतिमाह है या साल भर का है?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : १२४९ रु ५० पैसे प्रतिमाह। (व्यवधान)

मैं उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूं, मबजैकट डिस्कंशन का नहीं है, पर आपके महाप्रबन्धक क्या करते हैं इसपे जाना जा सकता है। पूर्वाचल में रेलवे का आरक्षण उठा लिया गया है लेकिन फिर भी वहां आरक्षण का

पैसा लिया जाता है महाप्रबन्धक के आड़र से । क्या इतना जल्म कही होता है कि पैसेन्जर को आखलण तो दिया नहीं जाता है, उसको उठा लिया है किर भी पैसा ले लिया जाता है । मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया है कि ज्यादती करने की प्रवृत्ति महाप्रबन्धक की है ।

एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि कभी भी रागड़ेप से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है । आपको न्याय करना होगा । आप यदि रागड़ेप से एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसमें विकृति आयेगी और उससे अचाचार बढ़ेगा । इस बात को शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लोग समझते नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह समझते हैं माल पानी मिलता है ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : दूसरा उदाहरण देता हूँ । मैंने मंत्री जी से कहा था कि 700 से अधिक हाल्ट स्टेशन हैं, पूर्वोत्तर रेलवे में, उसमें 500 के ऊपर कोई लौटी सर चार्ज नहीं लगाया जाता लेकिन 200 से ऊपर हालतों पर आप 6 पैसे हर पैसेन्जर मर चार्ज लगाते हैं । (व्यवधान)

200 रुपये पर हर पैसेन्जर के हर टिकट पर 6 पैसे लिया जाता है । एक स्टेशन भी बहु जाता है जहाँ का कि भाड़ा 15 पैसे है, उस पर भी 6 पैसे टिकट पर लिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : वही बात है कि हर माल मिलेगा 6 आठना ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं आपसे अनुरोध करन्गा मिनिस्टर साहब, कि एक बात से और मतकर रहिये । कमनापति तिवारी जी के जमाने में उनके पी० १० और स्पेशल प्रिस्टेंट बड़ा गडबड़ी करते थे, जिसमें वह बहुत बदनाम हुए । आप लोगों को भी पी० १० गडबड़ी करते हैं । श्री जिवनरायण जी कहे, तो मैं उदाहरण दे दूँगा एक नहीं, दम कि कितना उलटा सीधा उनके पी० १० गडबड़ी करते हैं । वे नाजायज काम कराना चाहते हैं । यदि उन की बागडोर नहीं कमिंग्स तो आप भी गडबड़ी में गिरायांग और यदि आप का ही मंथा हो तब तो बात ही कुछ और होती है । मैं उन्हीं शब्दों के साथ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि आगर किसी को नहीं चाहते हैं तो उसको मत रखें, लेकिन उसको मताने की ओर झटके कोणों को कोणिश मत कीजए ।

आपके यहा विजिलेंस डिपार्टमेंट है । हम ने देखा है इडिंडेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिग गांधी के समय में वगा क्या हयकड़ा उग समय हुआ । आपके यहां विजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिंडेंट नहीं है । अपने अफसरों के यहां दो वर्ष के बाद उन्हें फिर जाना पड़ता है और उन्हीं अफसरों के इशारे पर वे ताजते हैं । तो विजिलेंस

की भी कोई रिपोर्ट हो तो आपको उचित है कि सजा देने के फले मुजरिम का एकसलैनेशन लें और यदि ऐसे नहीं करते हैं, तो इससे बहु कर दूसरी धांधली क्या हो सकती है? बून के मकदमे में भी आदमी से पूछा जाता है, गवाही लो जाती है कि उम ने यह कर्न किया या नहीं । लेकिन आप यह करना नहीं चाहते हैं । आप चाहते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो कह दे गलत सलत वही करे । और कैसा विजिलेंस डिपार्टमेंट, कौन लोग हैं? यामूली येड थी के लोग उसमें जाते हैं, येड वन के नहीं । वह लोग समझते हैं कि फिर सुझे उसी ढो एस के यहां और उसी जी एस के यहां जाना है, उसके इशारे के मताकिंव नहीं करेंगे कि फिर हम से कसर साथ लेगा । इसलिए आप उसको इंडिंडेंट बनाइए । विजिलेंस को भेजिए, उसको करावर के लिए भेज दीजिए । लियें यहां रख कर आप चाहते हैं कि वह ईमानदारी से काम करे तो वह कभी नहीं कर सकता है । इसलिए मैं आप से प्रभुरोध करूंगा कि आप धांधली को देखिए और मैं समझता हूँ कि मेरे हतना कहने के बाद आप कन्विंस होंगे कि नाजायज हुआ है, नाजायज किया गया है और यह नाजायज किया गया है कुछ मततब से । ऐसे ही नहीं किया गया है । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह जहर कहूँगा कि रेलवे का साम्याच बहुत बड़ा है । 18 लाख आदमी उसमें काम करते हैं । यह मैं नानता है कि यह संभव नहीं है आपके लिए कि आप हर चीज देख सकें, लेकिन जो आप के ही लोग हैं आप के सथ उन पर तो प्रकुण रखिए । अंकश नहीं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन बरबाद हो जायगा ।

रेल संबंधी (प्रो० सदृ बंडबडे) : समाप्ति महोदय, महेन्द्रधाट के भोजनालय का ठेका ४ जून १९७६ से श्री मुरेन्द्र मिश्र को दिया गया था । इसके लिए अस्थायी तौर पर ८० रु० प्रति मास किराया निर्धारित किया गया था । बंतमान नियमों के अनुमार खान-पान स्थापनाओं का किराया इमारत और उपस्कर्तों की व्यवस्था को देखते हुए, उन की पूँजीगत लागत के ११ प्रतिशत से अधिक न बढ़ने वाली दर पर निर्धारित किया जाता है । ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि इसी प्रकार के स्टेशनों और वैसे ही स्थापनाओं का किराया तथा विक्री के अवसरों और अवर्ष-अमता के प्रभुरूप किराया निर्धारित किया जाय ।

इम भोजनालय का किराया पूँजीगत लागत के ११ प्रतिशत के प्राधार पर जून, १९७५ में १२४९.९० रुपये प्रति मास की दर पर निर्धारित किया गया । जब संसद् सदस्य श्री डो० एन० तिवारी ने किराये में इस भारी बढ़ि की ओर रेल मंदालय का ध्यान दिलाया तो इस किराये

[प्रौद्योगिकी दंडवते]

को बहुत ज्यादा समझा गया और पूर्वोत्तर रेल प्रशासन से कहा गया कि वे इस किराये पर पुनर्विचार करें। मंत्रालय के इस निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तीन प्रधिकारियों की एक समिति इस मामले की जांच करने भीर अपनी सिफारिश देने के लिए नियुक्त की। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

श्री मिश्र ने अभी संशोधित दर पर किराया नहीं दिया है और वे 80 रुपये प्रति मास की अस्थायी दर पर ही किराया दे रहे हैं।

यह तो मेरा बयान है लेकिन उनको फिर मीका न मिले कि वह दोबारा सबाल पूछे इसलिए मैं दो मिनट में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मैं तिवारी जी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मेरा ध्यान खींचा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर इतना किराया प्रति मास दिया जाता है और ऐसे कई स्टेशंस हैं कि जहाँ 40, 50, 60, 70 या 80 रुपया दिया जाता है। इसलिये मैंने समझा कि जो उन्होंने गिकायत की है वह ठीक है। तो तीन अफसरों की एक कमेटी बनायी गई है। उनकी सिफारिशें भी हमारे पास आई हैं। मेरा आगे चल कर काम करने की तरीका यह होगा कि इस प्रकार से कोई इरणेनल रेन्ट न रहे। जिस प्रकार का स्टेशन है उसी आधार पर और असता के आधार पर उसका किराया तय किया जायगा। यह मामला कोट में है, स्टेंडर्डर दिया गया है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : किराये का मामला कोट में नहीं है, अगर कोट में होता तो मैं उठाता ही नहीं।

प्रौद्योगिकी दंडवते : मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक कंटेन्ट आई, एक गिकायत आई जब हमने विजिलेंस की जांच की तो हमारे पास यह जानकारी आई कि जो सटीफिकेट उन्होंने आपने अनुच्छेद के बारे में दिया था वह सटीफिकेट गलत था इसलिए कॉर्टेंट का टर्मिनेट किया था। उसके बाद वे कोट में चले गए। कोट ने स्टेंडर्डर दे दिया। इसलिए टर्मिनेशन करने का तो कोई सबाल नहीं वह जारी रहा, 80 रु. 50 महीना किराया दे रहे हैं लेकिन आगे चलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेन्ट की एक इरणेनल पालिसी पूरे देश के लिए करेंगे और जो समान टाइप के, समान कैटेगरी के स्टेशंस होंगे वहाँ पर समान रेन्ट लगेगा। यह आश्वासन मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर यह सबाल उठाने का मीका नहीं मिलेगा।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैंने कभी भी कोई केंकेस का जिक्र नहीं किया। मैं जानता हूँ जो सब-जुडिस है उसके लिए प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आपने उठा दिया है। आपको याद

होगा मैंने कई बार आपको लिखा कि अगर विजिलेंस की कोई रिपोर्ट हो तो मुजरिम से एक सज्जेनेशन मार्गिए और कहिए वह अपना दावा साबित करे और अगर ठीक न हो तो जो सजा देनी हो वह सजा दीजिए। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट आयेगी। तो मैं आपसे डिसकस करके इस पर आईंडर दूँगा। क्या रिपोर्ट आई मैं नहीं जानता लेकिन बिना मुझ से पूछे, बिना मुझ से राय लिए इन्होंने इसरा आईंडर पास कर दिया। मैं कहूँगा यह भैरों साथ बीच आफ फेंग था। आपने इसके लिए बायदा किया था पर बायदा रखा नहीं।

MR. CHAIRMAN: Discussion cannot go on in this manner.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have already clarified the point that we are examining this.

श्री जैसा मैंने इस मदन को आश्वासन दिया है मैं उससे पीछे हट नहीं सकता हूँ।

श्री गुद्दराज (विद्वान्) : मैं कंती महोदय से कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेवटर में रेलवे सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है। रेल चलेंगी तो जो यात्री चलेंगे उनको खात-पान की आवश्यकता भी होगी। विभिन्न स्टेशंग पर भूमि को आप टेका देते हैं उसकी दरों में भिन्नता है। आप दो तरह की खात-पान की दुकानें चलाते हैं—एक तो डिपार्टमेंटल कैटरिंग है, और दूसरे जो लाइसेंज-दा टेकेदार है उनके जारिये चलाते हैं। दोनों में आप को लाभ है। डिपार्टमेंटल कैटरिंग से आप को 70-80 लाख रुपये साल में मिलता है और जो लाइसेंज-दा टेकेदार है—उसने 50-60 लाख रुपये मिलता है। एक तरफ टेकेदार के पास जो बेयरे काम करते हैं उनको कम पैसा देना पड़े, इसके लिये वे तरह तरह की पैसेंटी करेंगे। मैं जानता चाहता हूँ—जब दोनों तरीकों से आप को लाभ है, डिपार्टमेंटल कैटरिंग से भी और लाइसेंज-दा टेकेदारों से भी, तो क्यों नहीं आप तमाम कैटरिंग को डिपार्टमेंट कैटरिंग कर दें, जिससे वहाँ पर काम करने वाले, जो फोर्थ-वलाम प्रम्लाइज हैं, उनकी नौकरी की मियायोरिटी की व्यवस्था हो सके।

प्रौद्योगिकी दंडवते : आध घटे की जो चर्चा होती है, वह एक निश्चित सबाल पर होती है। मेरे मित्र ने जो सबाल उठाया है, वह विश्वासन सबाल है। सारे देश की रेलों पर डिपार्टमेंटल इलेशन होता चाहिये या नहीं, उसके बारे में मेरी भी एक निश्चित राय है, लेकिन जब तक हम नीति के आधार पर कोई फैमला नहीं करते हैं, तब तक इस मदन में आप सबाल पूछेंगे और उस का जवाब हम देंगे। परन्तु इस सब के लिए एक कारपोरेशन बना देंगे, मैंसा तो मैं नहीं कह सकता।

MR. CHAIRMAN: Say that is under consideration; it is the usual practice of the government.

PROF. MADHU DANDAVATE: It will be my pleasure to follow your advice. उग्होंने जो सुझाव दिय हैं उस पर विचार करेंगा।

* श्री राज्यविलास पालवाल (हाजीपुर)
सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय की नीयत पर शंका नहीं है, लेकिन जिस विभाग का वे संचालन कर रहे हैं, उसके प्रधिकारियों की नीयत पर जल्द शंका है। आप भवित्व में जो करेंगे, वह ठीक है, लेकिन आप के पद ... एक चेत्रर है, उसी तरह से विभिन्न प्रधिकारियों की एक-एक वेगसं हैं। यह जो बंगलिंग हुआ—कहीं पर 70 रुपया और कहीं 1700 [रुपया]—किन प्रधिकारियों की अजेशचन्द्र से ऐसा किया गया? वे कौन प्रधिकारी थे, जिन्होंने

ऐसा बंगलिंग किया, किस प्राप्ति पर किया और क्या इस के लिये आप उन प्रधिकारियों को दण्डित करेंगे?

श्री मधु दण्डवते: यह मामला तो वबौ से चलता प्राप्त है, इसलिये मैंने निश्चित किया है कि नई नीति तय करेंगे, साथ-साथ जो गलती हुई है, वह गलती किस ने की है, उसकी भी जांच जल्द करायेंगे।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. on the 16th.

19.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 16th August, 1978/Sravana 25, 1900 (Saka).